

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी०सी०आर०)

दांडिक अपील क्रमांक: 164 / 2015

संस्थित दिनांक-15 / 5 / 2015

फाईलिंग नंबर-230303005822015

- 1- राजेन्द्र पुत्र बाबूलाल  
उम्र-46 साल
- 2- विष्णुकुमार पुत्र बाबूलाल  
उम्र-55 साल
- 3- ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल  
उम्र-57 साल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण इटायली गेट  
गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

-----अपीलार्थीगण/आरोपीगण

वि रू द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला-भिण्ड (म०प्र०)

-----प्रत्यर्थी/अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक।

अपीलार्थीगण/आरोपीगण द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता।

न्यायालय-श्री केशव सिंह जे०एम०एफ०सी०, गोहद, द्वारा दांडिक  
प्रकरण क्रमांक-79/2012 ई०फौ० में घोषित निर्णय व दण्डाज्ञा  
दिनांक 17/04/15 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

**—::— निर्णय —::—**

(आज दिनांक 27 जनवरी 2017 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थीगण/आरोपीगण की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री केशव सिंह द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 79/2012 ई०फौ० निर्णय दिनांक-17/04/2015 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 294 भा०द०वि० के आरोप से दोषमुक्त करते हुए, धारा-323/34 भा०द०वि० के अपराध के लिए तीन-तीन माह के सश्रम कारावास एवं 200-200/-रुपए अर्थदण्ड से तथा धारा-324/34 भा०द०वि० के अपराध में तीन-तीन माह के

सश्रम करावास एवं 300-300/-रूपए अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए दोनों धाराओं में एक साथ सजा भुगताए जाने से दण्डित किया था।

2. प्रकरण में यह महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य है, कि आरोपी/अपीलार्थी राजेन्द्र एवं घटना का आहत अशोक शर्मा पड़ोसी है उनके मकान एक दूसरे से लगे हुए हैं, यह भी स्वीकृत है, कि आरोपी/अपीलार्थीगण अपास में सगे भाई हैं और आहत अशोक और श्रीमती सरिता आपस में पति पत्नी तथा साक्षी प्रशांत उनका पुत्र है।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है, कि फरियादी अशोक शर्मा ने मय अपनी पत्नि सरिता सहित दिनांक 20/02/12 को करीब 21:50 बजे पुलिस थाना गोहद में उपस्थित होकर इस आशय की जुबानी रिपोर्ट की, कि उसके मकान के बगल में राजेन्द्र शर्मा का मकान बना हुआ है, दो दिन पहले राजेन्द्र शर्मा अपने मकान का छज्जा निकाल रहा था, उसने मना किया कि छज्जा बाहर मत निकालो, आज पुनः वह अपना छज्जा निकाल रहा था तो उसने फिर मना किया इसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई तभी राजेन्द्र ने उसके कुल्हाड़ी सिर में मारी जिससे चोट होकर खून निकल आया ओमप्रकाश ने उसके दाहिने हाथ में डंडा मार, जिससे उसके मुंड़ी चोट आई उसकी पत्नी सरिता उसे बचाने आई तो विष्णु ने उसे ईंट मारी जो उसके घुटने में लगी और सभी लोग मादरचोद, बहनचोद की गालियां देने लगे, उसने गालियां देने से मना किया तो वे लोग नहीं माने और वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी।
4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा-294, 323/34 एवं 324/34 भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाये जाने पर, आरोपीगण को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपों से इंकार किया, उनका विचारण किया गया, विचारणोपरांत आरोपीगण को धारा-294, भा0द0वि0 के अपराध में दोषमुक्त करते हुए तथा धारा-323/34 भा0द0वि0 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए लिए तीन-तीन माह के सश्रम करावास एवं 200-200/-रूपए के अर्थदण्ड से तथा धारा-324/34 भा0द0वि0 के अपराध के लिए तीन-तीन माह के सश्रम करावास एवं 300-300/-रूपए अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए दोनों सजाए एक साथ भुगताए जाने से दण्डित किया था, जिससे व्यथित होकर आरोपीगण/अपीलार्थीगण की ओर से यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।
5. आरोपी/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील में मूलतः यह आधार लिया गया है, कि प्रकरण में कोई स्वतंत्र साक्षी

परीक्षित नहीं है और अशोक सरिता और प्रशांत हितबद्ध साक्षी है, अशोक ने झगडा कुआ के पास बताया है, उसकी पत्नी सरिता अशोक की मारपीट गेट के पास बताती है, साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है, सरिता को फिसलने से चोट लगी है, तथा उनके पुत्र प्रशांत को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताते हुए अभियोजन द्वारा कथन कराया गया है यदि प्रशांत मौके पर होता तो उसे भी चोट आती, तथा एफ0आई0आर0 में उसका नाम नहीं है, न ही प्रशांत द्वारा या अन्य किसी बीच बचाव करने की बात बताई गई है, तथा चिकित्सक द्वारा भी आहतगण की चोटें स्वकारित होने का मत दिया गया है और फरियादी ने आपस में एक दूसरे को उपहति बनाते हुए, झूठी रिपोर्ट छज्जे के निर्माण को रोकने के उद्देश्य से दर्ज कराई थी, मामला पूरी तरह झूठा है, आरोपीगण द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है, तथा आरोपी/अपीलार्थी विष्णुकुमार और ओमप्रकाश ग्राम पिपरोली में अपने परिवार के साथ रहते हैं और छज्जे के निर्माण को लेकर जो दीवानी दावा किया था, वह रंजिश के आधार पर किया था, इन बिन्दुओं पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है, और विधि और साक्ष्य के प्रतिकूल मामला संदिग्ध होने के बावजूद दोषसिद्ध मानकर दण्डित करने करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है, इसलिए दांडिक अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त कर आरोपीगण/अपीलार्थीगण को दो दोषमुक्त किया जाए और अर्थदण्ड वापिस दिलाया जाए।

6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1— “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे धारा-323/34 एवं 324/34 भा0द0वि0 के अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है?”
- 2— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—::— **निष्कर्ष के आधार** —::—

7. उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दु एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए और सुविधा की दृष्टि से उनका एक साथ विश्लेषण और निराकरण किया जा रहा है।

8. आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने

अंतिम तर्कों में मूलतः इस बात पर बल दिया है, कि आरोपी, फरियादी पड़ोसी है, आरोपी/अपीलार्थी राजेन्द्र अपने मकान के पुराने पत्थर के छज्जे के स्थान पर आरसीसी का छज्जा बना रहा था, जिसको रोकने का फरियादी को कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि छज्जा 9-10 फिट ऊंचाई पर है, और उससे कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, तथा फरियादी की कोई खिड़की या दरवाजा भी उनकी दीवाल की तरफ नहीं है, किंतु अनावश्यक छज्जे को लेकर फरियादी अशोक और उसकी पत्नी द्वारा विवाद करते हुए दीवानी दावा कराया गया था, जो खारिज हो चुका है, और उसकी अपील भी खारिज हो चुकी है, आरोपीगण ने कोई मारपीट नहीं की, न ही कोई झगडा किया और छज्जे के निर्माण को लेकर संजिश के कारण अशोक द्वारा झूठी रिपोर्ट की गई थी, सरिता को फिसलने से चोट आई थी, अशोक व सरिता की चोटें स्वकारित हैं, इसका चिकित्सक ने भी अभिमत दिया है, इसलिए घटना का चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थन नहीं है, तथा घटना को कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं है, जबकि आस-पास बस्ती है और घटना बनावटी इस आधार पर भी है, कि एफ0आई0आर0 में प्रशांत का मौके पर होना या बीच बचाव करना उल्लेखित नहीं है, जिसने न्यायालय में हितबद्धता के कारण चक्षुदर्शी साक्षी की हैसियत से अभिसाक्ष्य दिया है, यदि वह मौके पर होता तो उसे भी चोट आती और विष्णुकुमार व ओमप्रकाश मौके पर नहीं रहते हैं, केवल राजेन्द्र और उसका परिवार रहता है, विष्णुकुमार और ओमप्रकाश अपने अपने परिवार के साथ ग्राम पिपरोली में रहते हैं, और वहीं खेतीबाड़ी करता है, उन्हें झूठा फंसाया गया है, यदि वास्तव में घटना हुई होती तो आस-पास की बस्ती का कोई साक्षी अवश्य होता, इसलिए मामला संदिग्ध है।

9. आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी किया है, कि अशोक अ0सा0-01, श्रीमती सरिता अ0सा0-02 और प्रशांत अ0सा0-04 तीनों ही एक ही परिवार के सदस्य होकर हितबद्ध साक्षी हैं, और उनके कथनों में भी घटनास्थल, चोटों तथा अन्य बिन्दुओं पर विरोधाभास है और वे विश्वसनीय नहीं हैं, उन्हें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वसनीय मानकर गंभीर विधिक त्रुटि की है, तथा बचाव साक्षी की साक्ष्य को अनदेखा किया है, और दीवानी वाद जो छज्जा निर्माण को लेकर किया गया था, वह खारिज भी हो चुका है, उस पर भी विचार नहीं किया है, उक्त तीनों साक्षियों ने विचारण के दौरान प्राईवेट अभिभाषक नियुक्त कर पढ़कर समझकर कथन दिए हैं, इस कारण भी वे विश्वसनीय नहीं हैं, किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी बिन्दुओं को अनदेखा करते हुए, विधि के विपरीत और साक्ष्य के प्रतिकूल निष्कर्ष निकालते हुए, आलोच्य निर्णय पारित कर धारा-323/34 और 324/34 भा0द0वि0 में विधि विरुद्ध दोषसिद्धि कर गलत दण्डाज्ञा पारित की है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का



आलोच्य निर्णय निरस्त किया जाए और आरोपीगण/अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किया जाए और उनका अर्थदण्ड वापिस कराया जाए, क्योंकि आरोपीगण/अपीलार्थीगण शांतिप्रिय नागरिक होकर विधि का पालन करते हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं हैं।

10. विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुए, यह व्यक्त किया है, कि अशोक सरिता और प्रशांत एक ही परिवार के सदस्य अवश्य हैं, किंतु रिश्ते के साक्षी होने के आधार पर उन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है, तथा अभिलेख पर जो अभियोजन की ओर से साक्ष्य पेश की गई है, वह स्वभाविक और विश्वसनीय है, तथा चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थन है, विवेचना भी प्रमाणित हुई है और चिकित्सक ने ऐसा कोई निश्चित मत नहीं दिया है, कि पाई गई चोटें स्वयं ही कारित की गई हों मात्र संभावना व्यक्त की है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष विधि सम्मत और साक्ष्य पर आधारित है और दाण्डिक अपील में जो बिन्दु उठाए हैं और आधार लिए हैं, वे सारहीन हैं, इसलिए अपील में कोई बल नहीं है और अपील सव्यय निरस्त की जाकर आरोपीगण/अपीलार्थीगण को अधिरोपित कारावास की दण्डाज्ञा भुगताए जाने हेतु जेल भेजा जाए।

11. दाण्डिक अपील के निराकरण करते समय अपील न्यायालय को भी साक्ष्य का मूल्यांकन करना आवश्यक है। जैसा कि न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ एम0पी0 विरुद्ध बल्लोर उर्फ रामगोपाल 2006 फर्स्ट विधि भास्कर (एस0सी0) पेज-01 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। इसलिए विचाराधीन अपील में मूल प्रकरण में आयी साक्ष्य का अपील स्तर पर भी मूल्यांकन करना आवश्यक है।

12. अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं अभिलेख पर आई उभयपक्षों की साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों पर विचार करते हुए मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया, अभियोजन का मामला प्र0पी0-01 की एफ0आई0आर0 में बताई गई घटनाक्रम पर आधारित है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपीगण/अपीलार्थीगण को धारा-294 भा0द0वि0 से संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया है और धारा-323/34 एवं 324/34 भा0द0वि0 के अपराधों के लिए दोनों धाराओं के तहत तीन-तीन माह के सश्रम कारावास सहित क्रमशः 200/-रुपए और 300/-रुपए अर्थात् कुल 500-500/-रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है, कारावास की सजाए एक साथ भुगताई जाने का भी आदेश किया गया है।

13. प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों में चिकित्सक और विवेचक के अलावा अशोक शर्मा अ0सा0-01 श्रीमती सरिता अ0सा0-02 और उनके पुत्र प्रशांत अ0सा0-04 को अ0सा0-04 के रूप में परीक्षित कराया गया है, अर्थात् अभियोजन की ओर से कोई स्वतंत्र साक्षी परीक्षित नहीं है, प्र0पी0-01 की एफ0आई0आर0 में भी किसी के द्वारा बीच बचाव करने की बात का उल्लेख नहीं है, मौके पर मोहल्ले के लोगों के आ जाने और भीड़ हो जाने का उल्लेख अवश्य किया है, किंतु उनमें से किसी भी आस-पास के निवासी को अभियोजन का साक्षी नहीं बनाया गया है, जिसके संबंध में घटना के विवेचक ए0एस0आई0 एन0सी0 यादव अ0सा0-05 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-03 में यह स्पष्टीकरण दिया है, कि उसने घटनास्थल के आस-पास के लोगों से पूछताछ की थी, किंतु बुराई के कारण कोई कथन देने को तैयार नहीं हुआ था, जो कि समुचित कारण है, क्योंकि वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के मामले में पड़ना नहीं चाहता है, ऐसे में प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों के न होने के आधार पर परीक्षित साक्षियों को अविश्वसनीय या अग्राह्य नहीं माना जा सकता है, किंतु यह अवश्य है, कि परीक्षित साक्षी एक ही परिवार के होकर निकट संबंधी है, उनकी आपस में हितबद्धता है, इसलिए उनके अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक और सूक्ष्मता से करना विधि में अपेक्षित हो जाता है, किंतु यह भी सुस्थापित विधि है, कि किसी भी साक्षी पर केवल रिश्ते का साक्षी होने के आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है जैसा कि न्याय दृ० **रणधीरसिंह विरुद्ध म०प्र० राज्य 1994 एम० पी० एल० जे०-452** में प्रतिपादित है, इसलिए अ0सा0-01, अ0सा0-02 और अ0सा0-04 के कथनों को पति पत्नी और पुत्र होने के आधार पर भी अग्राह्य नहीं किया जा सकता है, किंतु सावधानी के नियम का पालन उनके अभिसाक्ष्य के मूल्यांकन में अवश्य अपनाना होगा, इसलिए अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि स्वतंत्र साक्षी नहीं है, और अ0सा0-01, अ0सा0-02 और अ0सा0-04 हितबद्ध है, इस आधार पर मामला संदिग्ध नहीं माना जा सकता है।

14. प्रकरण में आरोपीगण/अपीलार्थीगण की ओर से बचाव साक्ष्य में बद्री प्रसाद बा०सा०-01 को परीक्षित कराया गया है, बचाव साक्षी के संबंध में न्याय दृ० **मनीष कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ एम०पी० 2009 किमीनल लॉ जनरल पैज 115** में यह सिद्धांत प्रतिपादित है, कि बचाव साक्षी को भी अभियोजन साक्षी की भांति ही विश्लेषण में लिया जाना चाहिए, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय की कण्डिका 15 मुताबिक बचाव साक्षी की अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन किया है, इसलिए यह तर्क कि बचाव साक्ष्य नहीं देखी गई, स्वीकार योग्य नहीं है, बचाव साक्षी को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वसनीय नहीं माना है, बल्कि उसके अभिसाक्ष्य में आई

स्वीकारोक्तियों बल दिया है, जिस पर विचार किया गया, बद्रीप्रसाद बा०सा०-०१ के संपूर्ण अभिसाक्ष्य में इस बात की स्वीकारोक्ति तो आई है, कि आरोपी और फरियादी के मध्य छज्जा निकालने की बात पर मुंहवाद हुआ था, हालांकि वह मारपीट की घटना घटित होने से इन्कार करता है और मुख्य परीक्षण में उसने यह कहा है, कि उसके सामने कोई मारपीट या झगडा दोनों पक्षों के मध्य नहीं हुआ, साथ ही यह भी कहता है, कि जब पुलिस मौके पर आई थी, तब पता चला था, कि अशोक ने आरोपीगण की झूठी रिपोर्ट कर दी है, और मकान संबंधी विवाद पर से झूठा फंसाया है, प्र०पी०-०१ की एफ०आई०आर० में भी मौके पर आने वालों में किसी का नाम नहीं आया है, तथा अशोक अ०सा०-०१ के पैरा-०५ में यह भी प्रतिपरीक्षा के दौरान तथ्य प्रकट किया गया था, कि जब झगडा हुआ था, तब आसपास के मकानवाले आ गए थे, प्रतिपरीक्षा के दौरान उसे या श्रीमती सरिता अ०सा०-०२ या प्रशांत अ०सा०-०४ को इस आशय का कोई सुझाव नहीं दिया गया कि बद्री प्रसाद मौजूद था और वास्तव में झगडा नहीं हुआ, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। ब०सा०-०१ के मुताबिक वह अपने सामने घटना होने से इन्कार करता है, प्र०पी०-०१ मुताबिक घटना रात ०९:०० बजे की है, इसलिए यह भी संभव है, कि बद्री प्रसाद बाहर ही नहीं निकला हो, इसलिए उसने झगडा नहीं देखा इस आधार पर बचाव साक्षी को विश्वसनीय साक्षी नहीं माना जा सकता है, तथा बचाव साक्षी ने पुलिस के आने पर रिपोर्ट की जानकारी होने बाबजूद पुलिस को कोई कथन झूठी रिपोर्ट के बारे में बताने की बात नहीं कही है, ऐसे में बचाव साक्षी के द्वारा आरोपी/अपीलार्थी पक्ष से मधुर संबंधों के नाते उनके पक्ष में अभिसाक्ष्य दिया जाना ही परिलक्षित होता है इसलिए बचाव साक्षी की अभिसाक्ष्य से आरोपीगण/अपीलार्थीगण को कोई बल प्राप्त न होने का जो निष्कर्ष विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाला गया है, उसे विधि विरुद्ध व साक्ष्य के प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है।

15. यह सुस्थापित दाण्डिक विधि है, कि आपराधिक मामलों में प्रमाण भार अभियोजन पर होता है, कि वह अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करे अर्थात् प्रतिरक्षा साक्ष्य के पेश न होने या अविश्वसनीय होने के आधार पर अभियोजन के मामले को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, इसलिए अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन कर यह निष्कर्षित करना होगा कि प्र०पी०-०१ की एफ०आई०आर० में जो घटना बताई गई है, क्या वह युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित होती है, या नहीं।

16. सर्वप्रथम चिकित्सकीय साक्ष्य को देखा जाए तो प्रकरण में कथानक मुताबिक अशोक और सरिता घटना के आहत बताए गए हैं, जिनके संबंध में डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०-०३ का परीक्षण

कराया गया है, जिन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 20/02/12 को ही सी0एच0सी0 गोहद में मेडीकोलीगल ऑफीसर रहते हुए, आहत अशोक एवं श्रीमती सरिता का मेडीकोलीगल परीक्षण तथा एक्सरे परीक्षण क्रमशः करना बताया है, अशोक के परीक्षण में उसके सिर में पीछे की तरफ 02X0X02X0X02 से0मी आकार का कटा घाव पया था, जिससे घाव होकर रक्त बह रहा था, तथा दाहिने हाथ में पीछे की तरफ रगड का निशान था, जिसकी प्र0पी0-03 की उसने मेडीकोलीगल रिपोर्ट तैयार की थी, अशोक के सिर की चोट सख्त भौथरी एवं धारदार वस्तु से और दाहिने हाथ की चोट कडे एवं भौथरी वस्तु से परीक्षण से 6 घंटे के भीतर की होना पाई थी, दाएं हाथ के एक्सरे परीक्षण के आधार पर अभिमत देना बताया था, सिर के चोट साधारण प्रकृति की थी, आहत अशोक के दाएं हाथ का एक्सरे परीक्षण भी किया गया था, जिसमें कोई अस्थिभंजन नहीं पाया था, जिसकी एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0-05 बताई है, और अशोक की चोटों के संबंध में यह भी राय व्यक्त की है, कि आशोक के सिर की चोट धारादार वस्तु पर गिरने या टकराने से और हाथ की चोट गिरने से आ सकती है, स्वकारित भी हो सकती है।

17. डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0-03 ने अपने अभिसाक्ष्य में श्रीमती सरिता का मेडीकल परीक्षण करने पर उसके बाएं घुटने पर 03X2 से0मी0 की रगड का निशान एवं दाहिने कंधे में 03X1.5 से0मी0 का नीलगू निशान पाना बताते हुए, उसकी प्र0पी0-04 की मेडीकोलीगल रिपोर्ट तैयार करना और दोनों चोटें सख्त भौथरी वस्तु से परीक्षण से 06 घंटे के भीतर की होना और बाएं घुटने की चोट साधारण प्रकृति की होना तथा दाहिने कंधे की चोट के बारे में अभिमत हेतु एक्सरे परीक्षण की सलाह देते हुए, उसके एक्सरे परीक्षण भी किया जाना बताया है, जिसमें कोई अस्थिभंजन नहीं पाया गया था, जिसकी प्र0पी0-06 की एक्सरे रिपोर्ट तैयार की गई थी, सरिता की चोट के संबंध में यह राय भी व्यक्त की है, कि यदि वह फिसल कर गिरे तो उक्त प्रकार की चोटें आना संभव है।

18. इस प्रकार से उक्त चिकित्सक डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0-03 के अभिसाक्ष्य मुताबिक अशोक और सरिता को दिनांक 20/02/12 चोटें आई थी, प्र0पी0-01 मुताबिक एफ0आई0आर0 रात बजे की बताई गई है, आहत अशोक का मेडीकल परीक्षण उक्त दिनांक को ही रात 10:10 बजे और श्रीमती सरिता का रात 10:15 बजे हुआ था, जिससे चिकित्सकीय राय मुताबिक जिस समय की घटना बताई गई है, उस समय की उक्त चोट होना संभावित है, चोटें आरोपीगण द्वारा स्वेच्छापूर्वक पहुंचाई गई या आहतगण ने स्वतः कारित कर ली या उन्हें गिरने या फिसलने से आई यह मौखिक साक्ष्य और परिस्थितियों



के आधार पर मूल्यांकित करना होगा, आहत अशोक अ0सा0-01 और सरिता अ0सा0-02 ने चोटें स्वयं एक दूसरे को कारित कर लेना या गिरने से आने से स्पष्ट तौर पर इन्कार किया है, इसलिए स्वतः कारित होने या गिरने से आने की जो संभावना चिकित्सक ने व्यक्त की है, उसकी पुष्टि नहीं होती है, बचाव साक्षी ने भी अपने अभिसाक्ष्य में यह नहीं बताया है, कि दोनों आहत ने एक दूसरे को चोटें बनाकर झूठी रिपोर्ट कर दी या गिरने, फिसलने से उन्हें स्वतः चोट आ गई, और अनैतिक लाभ लेते हुए, छज्जा निर्माण की रंजिश पर से झूठी रिपोर्ट कर दी, इसलिए यह आधार भी विधिक बल नहीं रखता है और प्र0पी0-02 के नक्शा मौका में भी जो घटनास्थल है, वह खुला स्थान है, वहां पर कोई ऐसी वस्तु जो धारदार या नुकीली पड़ी हो दर्शित नहीं है, अशोक के जो सिर में कटे घाव की चोट है, वह ऑक्सीपीटल रीजन में पहुंची है, अर्थात् सिर के बीचोंबीच है, जो स्वतः कारित नहीं की जा सकती है, स्वभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी नुकीली या धारदार वस्तु पर सिर के बल नहीं गिरता है, इसलिए चिकित्सक ने जो संभावना व्यक्त की है, वह दोनों चोटों को एक परिस्थिति में रखते हुए नहीं दी है, बल्कि अंग विशेष के आधार पर बताई है, इसलिए डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0-03 के पैरा-02 में दी गई राय सुसंगत नहीं मानी जा सकती है, और बचाव पक्ष का यह तर्क कि चोटों का चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थन नहीं है, कतई सत्यता के निकट न होने से ग्राह्य योग्य नहीं है।

19. जहां तक प्रत्यक्ष साक्ष्य का प्रश्न है, आहत और रिपोर्टकर्ता अशोक अ0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में घटना 20/02/12 की रात 09:00 बजे की बताते हुए, यह कहा है, कि वह अपने घर पर था, आरोपीगण जो उसके पड़ोसी है, वे जो दो दिन पहिले अपने घर का छज्जा डाल रहे थे, जिस पर उसने मना किया था, तो रुक गए थे, फिर घटना वाले दिन पुनः छज्जा डालने लगे तो रोका तो तीनों ने गाली गलोच करते हुए मारपीट की राजेन्द्र व पप्पू ने कुल्हाड़ी से मारा, जिससे उसके सिर में चोट लगी ओमप्रकाश ने डंडे से मारा था, जो दाहिने हाथ में लगा था, उसकी पत्नी सरिता और पुत्र बचाने आए तो विष्णु ने ईंट, पत्थर मारे थे, जो उसकी पत्नी सरिता को लगे थे, वे और बोले थे, कि मार कर छोड़ेंगे जिसकी उसने प्र0पी0-01 की रिपोर्ट की थी, पुलिस ने दूसरे दिन आकर घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0-02 बनाया था, पूछताछ की थी, साक्षी ने उसकी मां और चाचा के द्वारा राजेन्द्र के विरुद्ध दीवानी दावा करने की बात स्वीकार की है, किंतु इस पर से रंजिश पर से इन्कार किया है, और यह कहा है, कि तीनों आरोपीगण के बच्चे वहीं रहते हैं, ओमप्रकाश और विष्णु के ग्राम पिपरोली में रहने से इन्कार किया है, जबकि उसकी पत्नी श्रीमती सरिता अ0सा0-02 ने अपने मुख्य परीक्षण में तो अशोक अ0सा0-01

की तरह अभिसाक्ष्य दिया है, किंतु प्रतिपरीक्षण के पैरा-02 में यह स्वीकार किया है, कि पडोस में पप्पू उर्फ राजेन्द्र का परिवार रहता है, विष्णु और ओमप्रकाश का पूरा परिवार ग्राम पिपरोली में रहता है, ऐसा ही प्रशांत अ0सा0-04 ने पैरा-03 में स्वीकार किया है, तथा प्रशांत ने दीवानी दावा खारिज हो जाना पैरा-02 में स्वीकार किया है।

20. अशोक अ0सा0-01 और प्रशांत अ0सा0-03 ने यह भी स्वीकार किया है, कि उन्होंने प्रकरण में भगवती प्रसाद राजौरिया बकील साहब को नियुक्त किया है, अ0सा0-01 ने कथन देने के पूर्व अपने अभिभाषक के पास जाना उनके जूनियर अभिभाषक केशव सिंह गुर्जर द्वारा साक्ष्य हेतु न्यायालय में लेकर आना भी स्वीकार किया है, प्रशांत ने दस्तावेजों की नकलें अपने बकील साहब के पास होना भी स्वीकार किया है, हालांकि वे इस बात से इन्कार करता है, कि उन्हें सिखाया पढाया गया और समझाए जाने के अनुसार वे बयान दे रहे हैं, अशोक अ0सा0-01 के अभिसाक्ष्य में घटनास्थल के बारे में पैरा-06 में यह कहा गया है, कि झगडा मकान के सामने जो 12 फिट की गली है, उसमें कुए के पास हुआ था, और सुरेन्द्र शर्मा का मकान सामने गली नहीं है, बल्कि रोड पर है, जबकि उसकी पत्नी और आहत श्रीमती सरिता अ0सा0-02 के मुताबिक आरोपी पप्पू उर्फ राजेन्द्र के मकान के आगे चोडा चबूतरा बना होना स्वीकार किया है और अपने मकान का दरवाजा आरोपी की दीवार से 08 फिट दूरी पर बताती है, तथा पति की मारपीट पैरा-06 में गेट के पास बताती है, अशोक के मुताबिक उसे कुल्हाडी सामने से मारी गई थी, और सरिता के पैरा-06 मुताबिक पीछे से मारी गई थी, प्र0पी0-02 के नक्शा मौका में घटनास्थल आरोपी एवं फरियादी दोनों के मकानों की खुली सरकारी जगह दर्शाई गई है, ऐसे में घटनास्थल के संबंध में जो विरोधाभास अ0सा0-01, अ0सा0-02 के अभिसाक्ष्य में प्रकट हुआ है, वे तात्विक स्वरूप के नहीं माने जा सकते हैं।

21. जहां तक सिखाए पढाए साक्षी (Tutored witness) का आक्षेप बचाव पक्ष की ओर से किया गया है, एवं अ0सा0-01, अ0सा0-02 एवं अ0सा0-04 ने अपनी ओर से प्रकरण में अभिभाषक नियुक्त करना कहा है, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर भी इस संबंध में धारा-301(2) दं0प्र0सं0 के तहत आवेदन भी पेश कर श्री भगवती प्रसाद राजौरिया एवं केशवसिंह गुर्जर एडवोकेट अभियोजन के सहयोग हेतु नियुक्त करने की अनुमति चाही गई थी, जिसे विचारण न्यायालय ने स्वीकार किया, इसलिए यह तो सही है, कि पीडित पक्ष द्वारा अपनी ओर से प्रकरण में सहयोग हेतु अभिभाषक नियुक्त किया था, किंतु जिस प्रकार से उपरोक्त तीनों साक्षियों की प्रतिपरीक्षा में सुझाव देकर स्पष्टीकरण लिया गया है, उससे कहीं भी ऐसा प्रकट नहीं होता

है, कि अ0सा0-01 और अ0सा0-02 आहत साक्षी सिखाए पढाए जाने के आधार पर अभिसाक्ष्य दे रहे हों, बल्कि उनके अभिसाक्ष्य में उत्पन्न विरोधाभासों को देखते हुए, उनका प्रकृतिक साक्षी होना ही परिलक्षित होता है और न्याय दृ० अब्दुल सैयद विरुद्ध स्टेट ऑफ एम०पी०-(2010)10 एस०सी०सी० पैज-259 में आहत साक्षी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि प्रतिपादित करते हुए यह मार्गदर्शित किया गया है, कि आहत साक्षी मौके पर उपस्थिति की इन्चिल्ट गारंटी रखता है, तथा छज्जा निर्माण के बिन्दु के अलावा उनके मध्य किसी अन्य प्रकार की कोई रंजिश नहीं है, इसलिए यह भी नहीं माना जा सकता है, कि किसी रंजिश के कारण स्वयं चोट बनाकर रिपोर्ट की गई हो, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति दर्शित नहीं होती है, यह अवश्य है, कि आहतगण के पुत्र प्रशांत अ0सा0-04 का एफ०आई०आर० में उल्लेख नहीं है, जो न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में चक्षुदर्शी साक्षी की तरह आहतगण की अभिसाक्ष्य का और अभियोजन के कथानक का समर्थन करता है, जो अनुसंधान के दौरान चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में भी प्रकट हुआ था, ऐसे में उसका एफ०आई०आर० में साक्षी के रूप में नाम न होने के आधार पर ऐसी प्रतिकूल उपधारणा अभियोजन के विरुद्ध निर्मित नहीं की जा सकती है, कि उक्त साक्षी आहतगण का पुत्र होने के नाते हितबद्धता के कारण साक्षी बना हो, क्योंकि कथानक मुताबिक भी घटना रात 09:00 बजे की है, ऐसी कोई परिस्थिति भी प्रकट नहीं है, जिससे प्रशांत अ0सा0-04 का माता पिता से अलग कहीं अन्यत्र रहना पाया जाए या घटना के समय वह घर पर न होकर कहीं अन्यत्र रहता हो ऐसे में उसका अभिसाक्ष्य चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में ग्रहण करते हुए स्वीकार करने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि की जाना नहीं माना जा सकता है।

22. प्रकरण में तीन आरोपीगण अभियोजित किए गए हैं, तीनों ही आपस में सगे भाई हैं और आरोपी/अपीलार्थी विष्णुकुमार और ओमप्रकाश का ग्राम पिपरौली में परिवार के साथ रहने की बात भी आई है, उनकी घटना कारित करने में आरोपी/अपीलार्थी राजेन्द्र उर्फ पप्पू के साथ सहभागिता के बिन्दु को देखा जाए तो अशोक अ0सा0-01 के मुताबिक उसे राजेन्द्र और ओमप्रकाश ने मारा था, उसकी पत्नी को विष्णु ने ईंट, पत्थर मारना बताया है, श्रीमती सरिता अ0सा0-02 तीनों के द्वारा ही पत्थर मारना कहती है, जिससे उसके हाथ और पैर में चोट लगी थी और वह यह स्वीकार करती है, कि विष्णुकुमार और ओमप्रकाश अपनी पत्नी बच्चों के साथ गांव में रहते हैं, पडोस में पप्पू उर्फ राजेन्द्र रहता है, प्रशांत अ0सा0-04 ने अपनी मां श्रीमती सरिता को विष्णु द्वारा पत्थर मारना बताया है, और यह तथ्य निर्विवादित है, कि आरोपी राजेन्द्र के मकान में छज्जे के निर्माण का कार्य घटना के समय चल रहा था, ऐसे में ईंट पत्थर की मौके पर विद्य

मानता स्वभाविक है, आरोपी ओमप्रकाश और विष्णु के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है, कि घटना के समय वे मौके पर नहीं थे, तो फिर कहां थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो गांव में निवास करता हो, उसके बारे में ऐसी उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है, कि वह कभी भी अपने गांव के अलावा कहीं अन्यत्र नहीं जाएगा, चूंकि आरोपी/अपीलार्थी पप्पू उर्फ राजेन्द्र के मकान में निर्माण कार्य चल रहा था, तथा अशोक अ0सा0-01 के अभिसाक्ष्य में यह भी आया है, कि घटना के दो दिन पूर्व भी निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, और तब राजेन्द्र ने निर्माण रोक लिया था, इससे इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, कि भाई के नाते ओमप्रकाश और विष्णुकुमार राजेन्द्र के यहां घटना के समय उपस्थित हों, ऐसे में उनकी मारीपीट की घटना में सक्रिय भागीदारी की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तीनों आरोपीगण/अपीलार्थीगण की उपस्थिति घटनास्थल पर होने के संबंध में सुदृढ विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर है, इसलिए इस स्वीकारोक्ति का बचाव पक्ष को लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है, कि विष्णुकुमार और ओमप्रकाश अपने अपने परिवारों के साथ ग्राम पिपरौली में रहते हैं।

**23.**

घटना के विवेचक एन0सी0 यादव अ0सा0-05 ने अपने अभिसाक्ष्य से विवेचना को प्रमाणित किया है, उसकी इस स्वीकारोक्ति से कि गिरफ्तारी के लिए आरोपीगण स्वतः थाने पर उपस्थित हुए थे, उसके आधार पर घटना को संदिग्ध नहीं कहा जा सकता है, जिन विरोधाभाषों पर बचाव पक्ष ने बल दिया है, वे उपहति पहुंचाने की मूल घटना के संबंध में आई साक्ष्य को देखते हुए, महत्व नहीं रखते हैं, हालांकि अशोक अ0सा0-01 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में घटना के समय रात 09:00 बजे भी निर्माण का कार्य चलना, मोहरसिंह द्वारा निर्माण कार्य किया जाना और मजदूरों का भी होना बताया है, किंतु स्वभाविक रूप से रात्रि के समय निर्माण कार्य आमतौर पर नहीं होता है, और उक्त बात के समर्थन में मोहरसिंह नामक बताए गए कारीगर का साक्ष्य भी अभियोजन द्वारा नहीं बनाया गया है, तथा यह बिन्दु अनुसंधान के दौरान उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि बचाव दिए गए सुझाव पर से आया है और कारीगर मजदूरों की मौके पर उपस्थिति के संबंध में सरिता अ0सा0-02 अनभिज्ञ है, और जानकारी का अभाव बताती है, पुत्र प्रशांत अ0सा0-04 ने झगड़े के समय मौके पर लेबर के मौजूद होने से इन्कार किया है, जिसकी संभावना भी ज्यादा प्रतीत होती है, इसलिए अशोक अ0सा0-01 के पैरा-06 में कारीगर और मजदूरों के संबंध में दिए गए अभिसाक्ष्य से संपूर्ण अभिसाक्ष्य को अग्राह्य या अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त समग्र साक्ष्य तथ्यों परिस्थितियों के विधिक परिप्रेक्ष्य में उपरोक्तानुसार किए गए मूल्यांकन के आधार पर इस न्यायालय



का यह स्पष्ट मत है, कि आहत अशोक की चोट क्रमांक 01 जो की धारा-324 भा0द0वि0 की परिधि की है, जो कि खड़े घाव के रूप में साधारण प्रकृति की है, तथा उसकी चोट क्रमांक 02 एवं श्रीमती सरिता की चोट सख्त भौथरी वस्तु की होकर साधारण प्रकृति की है, जो धारा-323 भा0द0वि0 की परिधि के अंतर्गत आती है, और तीनों आरोपी/अपीलार्थीगण की घटना में सक्रिय सहभागिता है, इसलिए उनका स्वेच्छा उपहति पहुंचाने में सामान्य आशय होना और उसके अग्रसरण में घटना कारित किया जाना प्रमाणित होता है, इसलिए आरोपीगण/अपीलार्थीगण को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-324/34 भा0द0वि0 एवं 323/34 भा0द0वि0 में की गई दोषसिद्धि पुष्टि योग्य है, अतः दोषसिद्धि के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील सारहीन पाई जाकर निरस्त की जाती है और दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।

24. जहां तक दण्डाज्ञा का प्रश्न है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय में निकाले गए निष्कर्ष मुताबिक यह उपापत्ति (Findig) दी है, कि फरियादी पक्ष द्वारा बिना किसी वैधानिक अधिकार के आरोपीगण के छज्जे के निर्माण को रोककर उन्हें उपहति कारित करने के लिए, उकसाया है, किंतु आरोपीगण को स्वयं अपराध न करते हुए कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी, इस आधार पर दोनों धाराओं के अपराध के लिए तीन-तीन माह के सश्रम कारावास व कुल 500-500/-अर्थदण्ड अधिरोपित किया है, किंतु उक्त निष्कर्ष विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि धारा-323 और 324 भा0द0वि0 का अपराध तभी आकर्षित होगा, जबकि स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित की गई हो, यदि गंभीर और अचानक प्रकोपन पर से कोई स्वेच्छा उपहति कारित करता है और ऐसी उपहति साधारण प्रकृति की हो, तब दोषसिद्धि और दण्डाज्ञा धारा-323 और 324 भा0द0वि0 में नहीं होगी, बल्कि धारा-334 भा0द0वि0 में होगी, किंतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने स्वेच्छा उपहति कारित करना प्रमाणित माना है, इसलिए दण्डाज्ञा के बिन्दु पर उक्त निष्कर्ष को विधि सम्मत नहीं ठहराया जा सकता है, और यह न्यायालय उससे सहमत नहीं है।

25. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर विचार करते समय जिन बिन्दुओं का देखा जाना आवश्यक होता है, उनके आधार पर प्रकरण में यह पाया जाता है, कि अभिलेख पर आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है, जिससे उनके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि होती है, आरोपीगण/अपीलार्थीगण का कोई आपराधिक चरित्र भी नहीं बताया गया है, जिससे उनके आचरण में सुधार की संभावना न हो, हालांकि आरोपी/अपीलार्थीगण 21 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और प्रौढ़ अवस्था में हैं, तथा नवयुवक या वरिष्ठ

नागरिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं, तथा मध्य की श्रेणी के हैं एवं ग्रामीण परिवेश के हैं आहतगण की चोटे साधारण प्रकृति की हैं, श्रीमती सरिता को चोट ईंट पत्थर फैंकने पर आई है, दोनों पक्षों के मध्य जिस विषयवस्तु के लेकर विवाद था, कि छज्जा निर्माण पर फरियादी पक्ष को आपत्ति थी, उसके संबंध में तर्कों के माध्यम से जो स्थिति स्पष्ट हुई है, तथा प्रशांत अ0सा0-04 के साक्ष्य में भी आया है, कि छज्जा निर्माण को लेकर जो दावा चला था, वह खारिज हो चुका है, और तर्कों में उसकी अपील भी खारिज हो जाना और छज्जे का निर्माण हो जाना बताया गया है, जिससे आगे और विवाद बढ़ने की संभावना समाप्त हो गई है, जिसे देखते हुए, तथा पक्षकारों के निकट पड़ोसी होने के बिन्दु को देखते हुए उनके मध्य और द्वेषभाव न पनपे इस उद्देश्य से दण्डाज्ञा के संबंध में उदारता बरती जाना उचित व न्यायसंगत होगी।

**26.** दोषसिद्ध अपराध धारा-323 एवं 324 भा0द0वि0 में न्यूनतम दण्डादेश का प्रावधान नहीं है, केवल अर्थदण्ड से भी दण्डित कर न्यायिक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, आरोपी/अपीलार्थीगण विचारण के दौरान और अपील स्तर पर नियमित रूप से उपस्थित रहे हैं, और उन्होंने अभियोजन का सामना किया है, जिससे प्रकरण का बगैर अनुचित बिलंब के निराकरण हुआ है।

**27.** उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों अपराधों में जो तीन-तीन माह के सश्रम कारावास की दण्डाज्ञा अधिरोपित की है उसे अपास्त करते हुए अर्थदण्ड में वृद्धि कर और न्यायालय उठने तक के दण्डादेश को भी सांकेतिक रूप से दिया जाकर न्यायपूर्ण निराकरण किया जा सकता है, जो इस न्यायालय की दृष्टि में उचित व विधि सम्मत उक्त परिस्थितियों में होगा, फलतः दण्डाज्ञा के बिन्दु पर प्रस्तुत दांडिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, और धारा-324/34 एवं 323/34 भा0द0वि0 में दी गई तीन-तीन माह की सश्रम कारावास की दण्डाज्ञा को अपास्त किया जाता है और उसके स्थान पर न्यायालय उठने तक के दण्डादेश सहित अर्थदण्ड में वृद्धि करते हुए, अपीलार्थीगण/आरोपीगण को धारा-324/34 भा0द0वि0 के अपराध के लिए पांच-पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड सहित न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता है, तथा धारा-323/34 में एक-एक हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, उक्त अर्थदण्ड अधीनस्थ न्यायालय में जमा अर्थदण्ड में समायोजित कराया जा सकेगा।

**28.** आरोपीगण/अपीलार्थीगण तीन दिवस के भीतर अवशेष अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक का दण्डादेश विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं को समर्पित करते हुए भुगतेंगे, आदेश के

अपालन की दशा में अधीनस्थ न्यायालय की दण्डाज्ञा यथावत रहेगी।

29. आरोपीगण/अपीलार्थीगण द्वारा शेष अर्थदण्ड जमा किए जाने की दशा में आहत अशोक शर्मा को बतौर प्रतिफल धारा-353 (3) दं०प्र०सं० के तहत दो हजार रुपए एवं श्रीमती सरिता को एक हजार रुपए विधिवत् प्रदान किए जावे।
30. जब्तशुदा सम्पत्ति के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की कण्डिका 24 को यथावत रखा जाता है। पुनरीक्षण होने की दशा में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण हो।
31. निर्णय की प्रति आरोपीगण/अपीलार्थीगण को निःशुल्क प्रदान की जावे।
32. निर्णय की एक प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश के पालनार्थ वापिस भेजा जावे।
33. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: 27 जनवरी 2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड